वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2009

आयकर

का.आ. 741(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा पूरे गुजरात राज्य में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में पारसी पंचायत चैरिटेबल फंड वडोदरा के स्वामित्व वाले फतेह गंज, वडोदरा स्थित "उमरीगर अगियारी" कांप्लेक्स तथा विश्वामित्री, वडोदरा स्थित "दोखमा कांप्लेक्स" को घोषित करती है :—

यह अधिसूचना उक्त धारा के प्रयोजनार्थ दान पर प्रति वर्ष केवल पाँच लाख रुपए की सीमा तक मरम्मत अथवा नवीकरण कार्य के लिए ही वैध होगी ।

[अधिसूचना सं. 26/2009/फा.सं.178/31/2004-आ.क.नि.-I]

पदम सिंह, अवर सचिव